प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. 1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी झुन्झुनूं** थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर** वर्ष **2023**
प्र0सू0रि0 सं. 33/2023 दिनांक 9/2/2023

2.(i) अधिनियम......**भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018**..... धारायें ...... **7** ....
(ii) अधिनियम............ .... धारायें.........120बी भा.द.स. ....
(iii) अधिनियम.. धारायें...
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या.........162...................... समय ......4:55 pm.......
(ख) अपराध घटने का दिन **बुधवार** दिनांक :– 08.02.2023 समय **12:53 पी.एम** ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– **लिखित**

5. घटनास्थल :– **ग्राम नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला, झुन्झुनूं।**
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **उत्तर दिशा में करीब 45 कि.मी.**
(ब) पता :– **ग्राम नरहड, तहसील चिडावा, जिला, झुन्झुनूं।**
(स) यदि इस पुलिस थानासे बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– **श्री रणवीर सिंह**
(ब) पिता/पति का नाम :– **श्री भोमाराम जाट**
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– **47 वर्ष**
(द) राष्ट्रीयता– .... **भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– . ...
(ल) पता :– **निवासी पावडियां की ढाणी, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1– 1– श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति जाट, उम्र 48 साल निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनूं हाल पटवारी पटवार हल्का नरहड, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
2– श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री खेताराम, जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी वार्ड न0 24, सरदार शहर, जिला चुरु हाल नायब तहसीलदार मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–......................................
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य .... **रिश्वती राशि 7000/ रूपये**..............................

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय जी,

निवेदन है कि दिनांक 01.02.2023 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास मोबाईल नम्बर 9057219284 से मेरे मोबाईल नम्बर 7726863086 पर फोन आया व बताया कि मेरा नाम रणवीर सिंह है मैने करीब 8–9 माह पूर्व मेरी पुत्र वधु के नाम जमीन खरीदी थी जिसका खाता विभाजन करवाना है खाता विभाजन के नाम से नरहड का पटवारी मेरे से रिश्वत मांग रहा है मै रिश्वत नही देना चाहता एवं पटवारी को रिश्वत लेते हुए पकडाना

चाहता हू जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने श्री ईशाक कानि. 40 को कार्यालय का डिजीटल रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड को चैक करने के बाद खाली होने की पुष्टि होने पर उक्त कानि. को सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर श्री ईशाक कानि. 40 को दिये एवं परिवादी से सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया। समय करीब 06:00 पीएम पर कानि. ईशाक मौहम्मद ने जरिये मोबाईल मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि मै परिवादी से मिला परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त किया एवं कार्यालय के डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर पटवारी भवानी सिंह के पास ग्राम पंचायत नरहड के आईटीसी केन्द्र में सत्यापन हेतु भिजवाया व आईटीसी केन्द्र से वापिस आते ही मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर ली। परिवादी ने बताया कि मेरी पटवारी भवानी सिंह से बात हुई है उसने मेरे काम के एवज में 7000 रूपये रिश्वत की मांग की है मैने डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना जिसमें रिश्वती की मांग की वार्ता रिकॉर्ड है मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने ईशाक कानि. को मुनासिब हिदायत दी की मै राजकार्य से बाहर जा रहा हू डिजीटल रिकॉर्डर अपने पास सुरक्षित रखना मेरे उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। दिनांक 03.02.2023 को समय 08:40 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकार्य से उपस्थित कार्यालय आया। श्री ईशाक कानि. 40 ने परिवादी श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री भोमाराम, जाति जाट उम्र 45 साल, निवासी ग्राम पावटिया की ढाणी, तन नरहड, तह चिडावा जिला झुंझुनू का लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी चौकी झुंझुनू विषय ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैने करीब 8–9 माह पूर्व मेरे पुत्र राकेश की पत्नि मुनेश के नाम से एक जमीन खरीदी थी उक्त जमीन की सीमाज्ञान हेतु पूर्व में पटवारी भवानी सिंह ने मेरे से 15000 रूपये की मांग की थी एवं सीमाज्ञान के समय मेरे से 5000 रूपये लिये। अब उक्त जमीन की जो मेरे गांव में है का खाता फटवाने के लिए पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि पहले के बकाया दस हजार रूपये दे दो तब आपका काम करूंगा अन्यथा मेरे पास समय नही है। अतः श्रीमान जी मै मेरे जायज काम के बदले रिश्वत नही देना चाहता हू उचित कार्यवाही कर राहत प्रदान करे, एसडी रणवीर सिंह" व डिजिटल टेप रिकॉर्ड सुपुर्द कर बताया कि मै झुंझुनू से रवाना होकर नरहड पहूंच कर परिवादी श्री रणवीर सिंह से सम्पर्क किया व परिवादी से स्वयं का हस्तलेख प्रार्थना पत्र प्राप्त किया व डिजीटल टेप रिकॉर्ड मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी के पास सत्यापन हेतु भिजवाया गया। रिश्वत की मांग का सत्यापन होने पर हालात आपको जरिये मोबाईल अवगत कराये थे। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो डिजीटल टेप रिकॉर्डर में 7000/रुपये रिश्वत की मांग की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को मेरे पास सुरक्षित रखा गया। श्री ईशाक कानि. ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरे पास परिवादी का दिनांक 02.02.2023 को रात्रि 8.00 बजे फोन आया एवं परिवादी ने बताया कि पटवारी कल दिनांक 03.02.2023 को दोपहर मेरे से मिलेगा व रिश्वत लेगा इसलिये ट्रेप कार्यवाही कल ही करनी है आप कल नरहड आकर ट्रेप कार्यवाही करे। उक्त वार्ता मैने जरिये मोबाइल आपको भी बताई थी। श्री अली हुसैन, कानि. 573 को जरिये तहरीर देकर वन विभाग झुंझुनू से गवाह लाने हेतु रवाना किया जो गवाह श्री जयप्रकाश सैनी सहायक लेखा अधिकारी प्रथम को लेकर कार्यालय में उपस्थित हुआ। श्री अली हुसैन, कानि. 573 को जरिये तहरीर देकर सयुक्त निदेशक वाणिज्य कर विभाग झुंझुनू से गवाह लाने हेतु रवाना किया जो श्री नरेश कुमार कर सहायक को लेकर कार्यालय में उपस्थित हुआ। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर फिनोफ्थलीन पाउडर कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर प्राईवेट वाहन के डेशबॉर्ड में रखवाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाह श्री नरेश कुमार एवं श्री जयप्रकाश सैनी एवं श्री सुभाष चन्द्र सउनि, श्री त्रिलोक सिंह न0 24, श्री करण सिंह न0 193, श्री ईशाक कानि. 40, प्राइवेट वाहन से एवं सरकारी वाहन में श्री अली हुसैन कानि0 711, श्री रामवतार न0 21, श्रीमती सुमित्रा न0 511 चालक श्री सुरेन्द्र कुमार न0 371 मय लेपटाप, प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, वायस रिकार्डर मय मैमोरी काड, पानी की केन के गोपनीय कार्यवाही हेतु नरहड़ की तरफ रवाना हुआ। अन्य प्राईवेट वाहन से श्री मनोज कुमार कानि0 76, कुमार सानु न0 138 को मण्ड्रेला की तरफ रवाना किया गया। समय करीब 12.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा परिवादी श्री रणवीर सिंह से सम्पर्क करता हुआ पिलानी से नरहड रोड पर पहुॅचे जहां परिवादी उपस्थित मिला। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को एक तरफ लेकर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पुछताछ

की तो परिवादी ने बताया कि मेरे पुत्रवधु श्रीमती मुनेश कुमारी के नाम करीब 8–9 माह पहले कृषि भूमि खरीदी थी। उक्त भूमी की सीमाज्ञान हेतु पूर्व में पटवारी भवानी सिंह ने मेरे से 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी एवं सीमाज्ञान के समय मेरे से पांच हजार रुपये ले लिये। अब उक्त जमीन की खाता बटवारे के लिए पटवारी श्री भवानी सिंह से सम्पर्क किया गया तो उन्होने पहले के बकाया दस हजार रुपये देवो तब आपका काम करुगा अन्यथा मेरे पास समय नही है। दिनांक 01.02.2023 को आपके कार्यालय के श्री ईशाक जी आये थे जिनको मेरे द्वारा उपरोक्त सबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया था। उनके द्वारा मुझे एसीबी की डिजिटल टेप रिकार्डर दी थी। उक्त टेप रिकार्डर लेकर मे श्री भवानी सिंह, पटवारी जी के पास गया था जिन्होने मेरी पुत्रवधु के नाम खरीदी गई जमीन की पत्थरगढी करने व खाता विभाजन करने की एवज में मेरे से 7000/रुपये रिश्वत की मांग की थी जो मैने डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड की थी। तत्पश्चात दोनो स्वतंत्र गवाहो का परिवादी से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया तथा अब तक की ट्रेप कार्यवाही के बारे में गवाहान को अवगत कराया। स्वतंत्र गवाहान से ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्राप्त की गई। परिवादी के प्रार्थना पत्र पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 01.10 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री रणवीर सिंह को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने 7000/–रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच–पॉच सौ रूपये के 14 नोट कुल 7000/–रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द में अंकित करवाकर प्राईवेट गाडी की आड में नोटों पर श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक 371 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री जयप्रकाश से परिवादी श्री रणवीर सिंह की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 7000/–रूपये के नोट श्री सुरेन्द्र कुमार न0 371 से परिवादी की पहनी हुई सर्ट की आगे की बाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री रणवीर सिंह को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। प्राईवेट गाडी में रखी पानी की केन से श्री सुरेन्द्र कुमार कानि चालक, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले कॉच के गिलासों व कॉच की शीशियों को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। कार्यालय की डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड को चलाकर देखा गया जिसमें कोई आवाज नहीं है, उक्त डिजीटल टेप मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री रणवीर सिंह को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर को श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक से सरकारी वाहन के डेसबोर्ड में रखवाई गई तथा श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक को गाडी में ही रहने की मुनासिब हिदायत की गई। इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को आरोपी से सम्पर्क करने हेतु फोन करवाया लेकिन आरोपी ने परिवादी का फोन रिसिव नही किया। समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री रणवीर सिंह मय कानि ईशाक मौहम्मद को मय परिवादी की मोटर साईकिल के आरोपी पटवारी श्री भवानी सिंह से सम्पर्क करने हेतु पटवार भवन नरहड रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता के परिवादी से दूरी बनाते हुये उसके पीछे–पीछे रवाना हुआ। पटवार भवन से कुछ दुरी पर ही परिवादी श्री रणवीर सिंह मय कानि0 ईशाक मौहम्मद के वापस आये व बताया कि आरोपी पटवारी पटवार भवन में नही है तथा तीन दिन के लिए झुझुनूं ड्यूटी में गये हुये है। इसलिए आज ट्रेप कार्यवाही नही की जा सकती है। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहन व सरकारी वाहन से रवाना होकर नरहड गांव से बाहर आकर परिवादी की जेब में रखी पाउडर लगे 7000/रुपये सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक से निकलवाकर एक लिफाफे मे डालकर सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखी गई। परिवादी को अपनी मोटर साईकिल अपने जानकार के पास छुडवाई गई। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य, दोनो स्वतंत्र गवाह व परिवादी श्री रणवीर सिंह के नरहड से झुंझुनूं के लिए रवाना हुये। समय 03. 30 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य उपरोक्त फिगरे के रवानाशुदा

एसीबी चौकी झुंझुनूं पहुँचा। तत्पश्चात समय 03:45 पी.एम. पर परिवादी श्री रणवीर सिंह द्वारा आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी पटवार हल्का नरहड की दिनांक 01.02.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। कार्यालय के डिजीटल टेपरिकार्डर के मैमोरी कार्ड में टेप की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आरोपी व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मैमोरी कार्ड में टेप वार्ता का गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री रणवीर सिंह ने स्वयं की व आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी की आवाजों की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड जो SANDISK 16 जी.बी. को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क 'ए' अंकित किया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। समय 06:00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री रणवीर सिंह को हिदायत की कि जब भी आरोपी भवानी सिंह आपसे से सम्पर्क करे तब आप इस संबंध में मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत कराये। परिवादी व गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 08.02.2023 को समय 07.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री रणवीर सिंह ने जरिये मोबाईल अवगत कराया कि मैने गोपनीय तौर पर मालुमात किया है कि पटवारी आज पटवार भवन में मिलेगा तथा आज मेरी भी छुट्टी है। मै आपको करीब 11 बजे पिलानी में मिल जाउंगा। कार्यवाही आज ही करनी है। जिस पर पूर्व में पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश व श्री नरेश कुमार गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय उपस्थित आये। समय 10.15 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री सुभाष चन्द सउनि, श्री ईशाक मौहम्मद कानि, स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश, श्री नरेश कुमार मय सरकारी वाहन चालक श्री सुरेन्द्र कुमार मय ट्रेप बाक्स व लेपटाप, प्रिन्टर व पानी की केन व श्री सुनिल कुमार कानि, श्री करण सिंह, कुमार सानु कानि0 मय प्राईवेट वाहन के तथा श्री अली हुसैन कानि0, श्री मनोज कुमार कानि0, श्री त्रिलोक सिंह कानि0 निजी मोटर साईकिल से पिलानी के लिए रवाना हुआ। श्री श्योपाल हैड कानि0 व श्री रामवतार कानि0 को मण्ड्रेला कस्बे की तरफ रवाना किया गया। समय 11.30 ए.एम. पर मन् अति पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य के पिलानी लोहारु बाईपास के पास पहुँचे जहां परिवादी अपनी मोटर साईकिल लिये उपस्थित मिला। वाहनो को साईड में रुकवाया तथा परिवादी से मजिद दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने बताया कि मैने गोपनीय रुप से मालुमात किया है कि पटवारी पटवार मण्डल में ही बैठा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ट्रेप बाक्स के अन्दर लिफाफे में रखी पाउडर लगी ट्रेप राशि श्री सुरेन्द्र कुमार चालक से निकलवाकर गवाह श्री जयप्रकाश से गिनवाये गये तो 500-500 रुपये के 14 नोट कुल 7000/रुपये होना बताया जो पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से नोटो के नम्बर का मिलान करवाया गया तो नोटो के नम्बर फर्द के अनुसार सही पाये गये। परिवादी की जामा तलाशी गवाह श्री नरेश कुमार से लिवाई गई तो उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा नही रहने दी गई। ट्रेप राशि श्री सुरेन्द्र कुमार चालक से परिवादी की पहनी हुई सर्ट की उपर की बाई जेब में सावधानी पूर्वक रखवाई जाकर परिवादी को मुनासिब हिदायत दी गई कि आप ट्रेप राशि को रास्ते छुये नही तथा आरोपी के पास जाने पर आरोपी से हाथ नही मिलाये तथा अपने काम से संबंधित वार्ता करे व आरोपी द्वारा रिश्वत मांगने पर अपनी जेब से निकाल कर देवे तथा बाद रिश्वत लेनदेन तय ईशारे की समझाईस की गई तथा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द किया गया। श्री सुरेन्द्र कुमार कानि0 चालक को मुनासिब हिदायत दी गई की आप सरकारी गाडी में ही रहने की मुनासिब हिदायत दी गई। सभी पार्टी सदस्यो के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। समय 11.50 ए. एम. पर मन् अति पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री रणवीर सिंह के साथ ईशाक मौहम्मद कानि को परिवादी की मोटर साईकिल से तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, श्री सुभाष चन्द्र सउनि, दोनो स्वतंत्र गवाह चालक श्री सुरेन्द्र कुमार मय सरकारी वाहन तथा श्री सुनिल कुमार कानि0, श्री करण सिंह कानि0, श्री कुमार सानु प्राईवेट वाहन से तथा श्री अली हुसैन कानि, श्री मनोज कुमार कानि0, श्री त्रिलोक सिंह कानि0 मय निजी वाहन से नरहड के लिए रवाना हुये। समय 12.10 पी.एम. पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्य राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पहले पहुँच वाहनो का साईड में रुकवाया। परिवादी श्री रणवीर सिंह व कानि0 ईशाक मौहम्मद को परिवादी की मोटर साईकिल से राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी के पास रिश्वत लेनदेन हेतु भेजा गया। मन् अति0 पुलिस

अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में मुकिम हुये। समय 12:53 पी.एम पर कानि0 ईशाक मौहम्मद को परिवादी द्वारा ईशारा मिलने पर, कानि0 ईशाक मौहम्मद ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान व स्वतंत्र गवाह को साथ लेता हुआ राजीव गांधी सेवा केन्द्र के अन्दर बने पटवार भवन के पास पहुँचे तो बरामदे में परिवादी खड़ा मिला उसके पास एक अन्य व्यक्ति भी खडा था। परिवादी ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को वॉयस रिकार्डर सुपूर्द करते हुये पास में खडे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि ये ही श्री भवानी सिंह पटवारी है जिसने मेरे से अभी–अभी 7000/रुपये रिश्वत अपने बाये हाथ में लेकर दोनो हाथो से गिनकर अपनी पहनी हुई जिंस की पेंट की जेब में रखे है। जिस पर मन् मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने उस व्यक्ति को अपना परिचय देते हुये उसका परिचय व परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछने पर उसने घबराते हुये अपना नाम श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति जाट, उम्र 48 साल निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनूं हाल पटवारी पटवार हल्का नरहड, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू होना बताया। श्री भवानी सिंह पटवारी ने बताया कि श्री रणवीर सिंह ने अपनी पुत्र वधु के नाम से कृषि भूमी का बंटवारा के लिए 7000/रुपये रिश्वत के मैने स्वयं के तथा श्री अर्जुनलाल नायब तहसीलदार मण्ड्रेला के लिए लिये है जो मैने अपनी पहनी हुई जिंस की पेंट के सामने की बाई जेब में रखे है। रिश्वति राशि लेने की पुष्ठि होने पर श्री अली हुसैन कानि0 से आरोपी का दाहिना हाथ तथा आरोपी का बाया हाथ कलाईयो से उपर श्री सुनिल कुमार कानि0 से पकड़वाया गया। तत्पश्चात आरोपी भवानी सिंह पटवारी के मो0न0 6377505408 से श्री अर्जुनलाल नायब तहसीलदार के मो0न0 8079065802 पर फोन लगाया गया तो नायब तहसीलदार ने फोन रिसिव नही किया। इसके तुरन्त बाद नायब तहसीलदार ने अपने मोबाईल से आरोपी पटवारी के मोबाईल पर फोन आया जिस पर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी पटवारी ने श्री अर्जुन लाल को बताया कि श्री रणवीर सिंह के खाता विभाजन के "7" मैने ले लिये है जिस पर नायब तहसीलदार ने उक्त रिश्वती राशि लेने की हामी भरी जिसको कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड किया था। हैड कानि0 श्योपाल व रामवतार को कस्बा मण्ड्रेला की तरफ भेजा गया गया को नायब तहसीलदार मण्ड्रेला श्री अर्जुल लाल को डिटेन करने हेतु डिटेन करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात श्री करण सिंह कानि0 193 के दोनों हाथों एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी के बायें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी व दूसरे गिलास में आरोपी के दाहिने हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क एल–1, एल–2 एवं आर–1, आर–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी को रिश्वती राशि पेश करने के निर्देश दिये जिस पर आरोपी पटवारी ने अपनी पहनी हुई जिंस की पेंट की बाई जेब से रिश्वती राशि पेश की

जो गवाह श्री जयप्रकाश से गिनवाये गये तो उन्होने 500–500 रुपये के 14 नोट कुल 7000 रुपये होना बताया जिनका दोनों गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकसी से मुताबिक मिलान करवाया गया तो नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। रिश्वती राशि के रूपयों के नम्बरों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 HF 600697
2. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 QM 399680
3. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 FD 642411
4. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 US 955897
5. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 5 LT 343537
6. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 LN 099704
7. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 HP 231965
8. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 3 PB 364195
9. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 4 DK 987790
10. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 8 MD 904514
11. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 0 PK 734010

12. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 AP 922287
13. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 6 PS 438079
14. एक नोट पॉचसो रूपये का नम्बरी – 7 CV 581549

जिनके नम्बर फर्द में अंकित किए गए। बरामद शुदा उपरोक्त 7000 रूपयों के नोटों को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर नोटों के कागज पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। मौके पर एक पायजामा मंगवा कर आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी की जिंस की पेंट को ससम्मान उतरवाया गया। तत्पचात कानि0 करण सिंह के दोनो हाथो एवं दो साफ कांच के गिलासों को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी पटवारी की जिंस की पेंट के सामने की जेंब जिसमें रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटवाकर डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिनको दो–दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरकर सील चिट कर जिन पर क्रमशः मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जिंस की पेंट की जेब को सुखाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर जिंस की पेंट बरंग नीला को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर थैली को सीलकर सील्ड चीट कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "बी" अंकित कर कब्जा एसीबी ली गई। आरोपी श्री भवानी सिंह ने परिवादी के कार्य के बारे में पूछा तो उसने अपने टेबल के उपर से परिवादी के खाता विभाजन से संबंधित दस्तावेज पेश कर बताया कि रणवीर सिंह की पुत्र वधु श्रीमती मुनेश के खसरा न0 446/2, 447/2 भूमी किस्म बरानी रकबा 0.73 हैक्टेयर का नामान्तरण मुनेश के नाम दर्ज हो रखा है जिसका खाता विभाजन के प्रार्थना पत्र जिस पर मुनेश, तारमणी व आरोपी पटवारी भवानी सिंह के हस्ताक्षर किये हुये व खसरो की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस की दो कॉपी कुल छः किता पेश किये जिनका अवलोकन किया गया। मौके पर श्री रमेश कुमार शर्मा गिरदावर से दस्तावेजो की प्रति प्रमाणित करवाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गया। मुल दस्तावेज श्री रमेश कुमार शर्मा भू अभिलेख निरीक्षक को सुपूर्द किया गया। कार्यवाही के दौरान श्री श्योपाल हैड कानि0 व रामवतार कानि0 श्री अर्जुन लाल नायब तहसीलदार मण्ड्रेला को डिटेन कर मौके पर लेकर आये। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने नायब तहसीलदार को अपना परिचय देते हुये उनका परिचय व आरोपी पटवारी द्वारा 7000/रुपये रिश्वती राशि लेने के बारे मे पूछा तो उसने अपना नाम अर्जुन लाल पुत्र श्री खेताराम, जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी वार्ड न0 24, सरदार शहर, जिला चुरु हाल नायब तहसीलदार मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं होना बताया व रिश्वती राशि के बारे में बताया कि पटवारी ने रिश्वती राशि किस बात की ली है मुझे पता नही है। मैने कोई पैसे की मांग नही की थी तथा ना ही आज मेरी पटवारी श्री भवानी सिंह से पैसे के सबंध में बात हुई है। जिस पर आरोपी पटवारी श्री भवानी सिंह व श्री अर्जुन लाल, नायब तहसीलदार को रुबरु करवाया गया तो आरोपी पटवारी ने बताया कि मैने आज 7000/रुपये लिये है जो मैने मौके पर मेरे फोन से नायब तहसीलदार के फोन पर वार्ता करवाई है जिसमें नायब तहसीलदार जी ने रिश्वती राशि 7000/रुपये लेने की सहमती दी है। इस पर श्री अर्जुन लाल नायब तहसीलदार ने इस संबंध में कुछ नही कहा तथा चुप हो गये। इस प्रकार आरोपी भवानी सिंह पटवारी ने दिनांक 01.02.2023 को दौराने मांग सत्यापन परिवादी की पुत्रवधु के नाम भूमी का खाता विभाजन व पूर्व में की गई सीमा ज्ञान के 7000/रुपये अपने व नायब तहसीलदार मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं के लिए मांग की गई थी। मांग के अनुसरण में आज दिनांक 08.02.2023 को आरोपी पटवारी भवानी सिंह को 7000/रुपये रिश्वत लेते हुये रंग हाथ पकडने पर आरोपी भवानी सिंह पटवारी ने उक्त रिश्वती राशि नायब तहसीलदार मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं के नाम पर लेने की कही जिस पर मौके पर आरोपी पटवारी भवानी सिंह की उसके मोबाईल से नायब तहसीलदार अर्जुन लाल के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो नायब तहसीलदार अर्जुन लाल ने 7000/रुपये लेने की सहमती दी। आरोपीगणो का उक्त जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस का कृत्य पाया गया है। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही में प्रार्दश सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राशसील पीतल नं. 19 का नमूना तीन कागजों पर अलग से लिया जाकर उनपर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर एक कागज नमूना ब्राशसील पीतल नं. 19 गवाह श्री जय प्रकाश को सुपुर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। आरोपीगण श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मानसिंह, जाति जाट, उम्र 48 साल निवासी कंवरपुरा, पुलिस थाना बगड जिला झुंझुनूं हाल पटवारी पटवार हल्का नरहड, तहसील चिडावा जिला झुंझुनू व श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री खेताराम, जाति मीणा, उम्र 47 साल निवासी वार्ड न0 24, सरदार शहर, जिला चुरु

हाल नायब तहसीलदार मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं को अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120 बी भादस में जुर्म से अवगत करवाकर हस्ब कायदा जरिये फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया गया। परिवादी एवं दोनों मौतबिरान के समक्ष घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.50 पी.एम. पर परिवादी श्री रणवीर सिंह द्वारा मौके पर रिश्वत के लेन–देन के वक्त आरोपी श्री भवानी सिंह, पटवारी, पटवार हल्का नरहड से व आरोपी श्री भवानी सिंह की उसके मोबाईल से आरोपी श्री अर्जुन लाल के मोबाईल पर रिश्वत के संबंध में हुई वार्तालाप जिसको परिवादी द्वारा कार्यालय की डिजीटल टेपरिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई बातचीत को दोनों गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में मैमोरी कार्ड से लैपटाप के माध्यम से तीन सीडी तैयार कर आरोपीगण व अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता का गवाहान व परिवादी के समक्ष सुना जाकर टेप वार्तालाप के रूपान्तरण की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गयी। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्तालाप में परिवादी श्री रणवीर सिंह ने एक आवाज स्वयं की व दुसरी आवाज आरोपी श्री भवानी सिंह, पटवारी तथा आरोपी श्री अर्जुन लाल नायब तहसीलदार की आवाज होने की पहचान की। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड को निकालकर एक सफेद कपड़े की थैली में डलवाकर सील्ड किया गया, पैकेट पर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर मार्क "सी" अंकित किया गया। सील्ड पैकेट मार्क "सी" व खुली सीडी को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। विस्तृत फर्द ट्रांसक्रिप्शन पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्यावाही में प्रार्दशों को सील करने में काम में ली गई पीतल की ब्राश सील नं. 19 को श्री मनोज कुमार, कानि. 76 से तुडवाई गई। बाद कार्यवाही समय 7.10 पी.एम. पर परिवादी श्री रणवीर सिंह व स्वतंत्र गवाह श्री जयप्रकाश सैनी व श्री नरेश कुमार को बाद कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर मौके से रवाना किया गया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय गिरफ्तार शुद्धा आरोपीगण श्री भवानी सिंह पटवारी व श्री अर्जुन लाल नायब तहसीलदार व हमराहियान जाप्ता व जप्तशुदा आर्टीकल, ट्रेप बाक्स को हमारा लेकर राजीव गांधी सेवा केन्द्र नरहड से झुंझुनू के लिए रवाना हो कार्यालय पहुँच प्रकरण का माल वजह सबूत सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री रणवीर सिंह ने करीब 8–9 माह पहले अपनी पुत्रवधु के नाम से गांव में कृषि भूमी कृय की थी। उक्त भूमि का सीमा ज्ञान हेतु पूर्व में पटवारी भवानी सिंह ने 15,000/रुपये की मांग की थी। सीमा ज्ञान के समय श्री भवानी सिंह पटवारी ने 5000/रुपये ले लिये व अब उक्त जमीन का खाता विभाजन के लिए पटवारी भवानी सिंह से मिला तो उन्होने बकाया 10 हजार रुपये मांग रहे का प्रार्थना पत्र पेश किया। तत्पश्चात दिनांक 01.02.2023 को परिवादी श्री रणवीर सिंह ने आरोपी पटवारी श्री भवानी सिंह से रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी पटवारी ने अपने व नायब तहसीलदार मण्ड्रेला के लिए 7000/रुपये रिश्वत की मांग की गई। मांग की अनुसरण में आज दिनांक 08.02.2023 को परिवादी श्री रणवीर सिंह से आरोपी श्री भवानी सिंह, पटवारी ने स्वयं के लिए तथा श्री अर्जुन लाल, नायब तहसीलदार मण्ड्रेला के लिए 7000/रुपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त की गई। आरोपी श्री भवानी सिंह को 7000/रुपये रिश्वत लेने के बारे में पूछा तो आरोपी श्री भवानी सिंह पटवारी ने बताया कि मैने नायब तहसीलदार श्री अर्जुन लाल के कहने पर उनके लिये रिश्वत राशि प्राप्त की है। मौके पर आरोपी श्री भवानी सिंह से उसके मोबाईल से आरोपी श्री अर्जुन लाल के मोबाईल पर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री अर्जुन लाल ने 7000/रुपये लेने की सहमति दी। आरोपीगण श्री भवानी सिंह पटवारी, पटवार हल्का नरहड व श्री अर्जुन लाल नायब तहसीलदार मण्ड्रेला जिला झुंझुनूं ने आपसी मिलीभगत कर षडयंत्र पूर्वक कृत्य किया है। आरोपगीण का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस की तारीफ में आता है। अतः उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस. एसीबी जयपुर को प्रेषित है।

(इस्माईल खान)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झुन्झुनूं।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री इस्माईल खान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में आरोपीगण 1. श्री भवानी सिंह पुत्र श्री मानसिंह, पटवारी, पटवार हल्का नरहड़, तहसील चिड़ावा, जिला झुंझुनूं एवं 2. श्री अर्जुन लाल पुत्र श्री खेताराम, नायब तहसीलदार, मण्ड्रेला, जिला झुंझुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 33/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 253-57 दिनांक 9.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम सं02 जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, झुंझुनूं।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुंझुनूं।

9.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।